

क्रमांक 3323 269/12/15 / 3333
कार्यालय प्रमुख अभियंता, जलसंसाधन विभाग
जल संसाधन भवन तुलसी नगर भोपाल (MP)

भोपाल दिनांक 29/12/16

//आदेश//

MPSC शासन वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ 11/1/2008/नियम/चार दिनांक 24 जनवरी-2008 परिपत्र क्रमांक एफ-11/1/2014/नियम/चार दिनांक 30 सितम्बर 2014 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत गठित विभागीय समिति की अनुशंसा के आधार पर 30 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर निम्नलिखित कर्मचारियों को (कोई उच्चतर वेतनमान) में वेतन बैंड रु 9300-34800 + ग्रेड पे स 3200/- के ग्रेड वेतन की स्वीकृति उनके प्रत्येक के नाम के समक्ष दशांशे अनुसार दिनांक से प्रदान की जाती है -

श्रेणी	कर्मचारी का नाम व पदनाम	विभाग में प्रथम नियुक्ति दिनांक	समयमान वेतनमान प्रभावशील होने का दिनांक
01	श्री पद्मानंद तिवारी अनुरेखक	11.03.1983	01.07.2014
02	श्री सतीश कुमार गौतम अनुरेखक	03.12.1983	01.07.2014

सामान्य शर्तें-

- समयमान स्वीकृति पर वेतन का निर्धारण मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ-3/2009/नियम/चार दिनांक 23.03.2009 एवं समतल्यक ज्ञाप दिनांक 25.05.2009 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा। वेतन निर्धारण हेतु प्रपत्र दो पर आवश्यक दिकृत्य प्राप्त कर लिया जावे।
- समयमान वेतन योजना के अन्तर्गत उच्चतर वेतनमान का द्वितीय लाभ लेने के पश्चात यदि कोई कर्मचारी बाद में नियमित पदोन्नति स्वीकार करने से इकार करता है तो उसे पूर्व से स्वीकृत उच्चतर वेतनमान के अन्तर्गत द्वितीय लाभ वापिस नहीं लिया जावेगा परन्तु बाद में उसे कोई उच्चतर वेतनमानों का द्वितीय लाभ देय नहीं होगा।

(एम जी चौबे)

प्रमुख अभियंता,

जल संसाधन विभाग भोपाल

भोपाल दिनांक 29/12/2016

पृ क्रमांक 3323 269/12/15
प्रतिलिपि -

3333

- मुख्य अभियंता गंगा कठार जल संसाधन विभाग रीवा।
- अधीक्षण यंत्री,
- कार्यपालन यंत्री - - - - -
- निजी सहायक प्रमुख अभियंता/ अधीक्षण यंत्री (प्रशासन) कार्यालय प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग भोपाल।
- संबंधित सहायक मानचित्रकार द्वारा सक 01
- वेब मैनेजर कार्यालय परियोजना सचालक विश्व बैंक परियोजना भोपाल की ओर सूचनाएं एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अप्रेषित।

नोट सक 123 के लिये -

संबंधित कार्यालय कृपया वेतन निर्धारण की कार्यवाही कर सेवा पुस्तिका की जांच सयुक्त सचालक कोष एवं लेखा से कराने के पश्चात ही भुगतान करने की कार्यवाही की जाय।

अधीक्षण यंत्री (प्रशासन)
कार्यालय प्रमुख अभियंता